-1-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 158 / 22020
निर्णय दिनांक: 17.03.2025

उनवान

शान्ति देवी पत्नि रामनिवास जाति बगडा ब्राह्मण निवासी ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थीया

बनाम

1. कल्याण पुत्र भौरया
2. गोपाल पुत्र नारायण
3. मोती पुत्र नारायण
4. रूपा देवी पत्नि भैरू लाल
5. रामराय पुत्र भौरया
6. रामेश्वर पुत्र भौरया
7. रामप्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण
   जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्रांम जयसिंहपुरा बुहारिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
8. कोमल बगडा पत्नि सरद बगडा जाति जैन निवासी प्लाट नम्बर 19 द्वारिकापुरी जमनालाल बजाज मार्ग सी–स्कीम जयपुर।
9. भगवान भारद्वाज पुत्र मदन लाल भारद्वाज जाति भारद्वाज निवासी ख.नं. 128/6 पण्डित जी का फार्म नियर ओक्सफोर्ड इन्टर नेशनल स्कूल आसिंद नगर सांगानेर जयपुर ।
10. मनोज कुमार पुत्र महेश प्रकाश जाति जैन निवासी प्लाट नम्बर 19 द्वारिकापुरी जमनालाल बजाज मार्ग सी–स्कीम जयपुर।
11. मोहन लाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
12. रामनारायण पुत्र रूघनाथ
13. सत्यनारायण पुत्र रूघनाथ
14. हनुमान सहाय पुत्र लक्ष्मीनारायण
    जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्रांम चकआमझर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने उक्त उनवानी वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा व सीमा निर्धारण बाबत मान्य न्यायालय मे सत्यता के आधार पर प्रस्तुत कर दिया है, जिसमे प्रार्थीया को सफलता की पूरी पूरी आशा है। प्रार्थीया एवं उसके पति की खातेदारी काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 0.2400 है०, खसरा नम्बर 11 रकवा 0.2500 है०, खसरा नम्बर 12 रकवा 0.3300 है०, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.3300 है०, खसरा नम्बर 13/295 रकवा 0.2800 है०, खसरा नम्बर 14 रकवा 0.1400 है०, खसरा नम्बर 15/294 रकवा 0.2300 है०, खसरा नम्बर 7 रकवा 0.1600 है०, खसरा नम्बर 8 रकबा 0.0700 है०, खसरा नम्बर 9 रकवा 0.0100 है० कुल खसरे 10 कुल रकवा 2.0400 है० वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

जयसिंहपुरा बुहारिया पटवार हल्का मोहनपुरा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा तथा प्रार्थीया के पति का 1/2 हिस्सा है तथा प्रार्थीया व प्रार्थीया का पति उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि के सीमाजोड अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की भूमि खसरा नम्बर 4 रकबा 0.0420 है० तथा अप्रार्थी संख्या 5 ता 7 की भूमि खसरा नम्बर 3 रकबा 0.0670 है०, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.0400 है0, खसरा नम्बर 6 रकबा 0.0800 है० कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.1870 है० वाके ग्राम बुहारिया पटवार हल्का मोहनपुरा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में एवं अप्रार्थी संख्या 8 ता 14 की भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 0.1300 है०, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.3600 है0, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.0100 है०, खसरा नम्बर 15 रकबा 0.1900 है०, खसरा नम्बर 16 रकबा 0.3100 है०, खसरा नम्बर 17 रकबा 0.0200 है०, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.0800 है०, खसरा नम्बर 19/141 रकबा 0.0400 है०, खसरा नम्बर 20 रकबा 0.0200 है०, खसरा नम्बर 21 रकबा 0.02100 है0, खसरा नम्बर 22 रकबा 0.1300 है०, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.1500 है०, खसरा नम्बर 25 रकबा 0.1900 है०, खसरा नम्बर 26 रकबा 0.3500 है०, खसरा नम्बर 27 रकबा 0.1700 है0, खसरा नम्बर 28 रकबा 0.5500 है०, खसरा नम्बर 29 रकबा 0.2300 है०, खसरा नम्बर 30 रकबा 0.2800 है०, खसरा नम्बर 31 रकबा 0.3600 है०, खसरा नम्बर 32 रकबा 1.7100 है0, खसरा नम्बर 7 रकबा 0.0500 है०, खसरा नम्बर 9 रकबा 0.2300 है० कुल खसरे 22 कुल रकबा 5.7700 है० वाके ग्रांम चकआमझर पटवार हल्का मोहनपुरा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। अप्रार्थीगण की नियत में कुछ समय से बेईमानी व फितूर आया हुआ है तथा आपस में मिलीभगत व नाजायज सांठगांठ कर रखी है तथा मौके पर सही सीमा चिन्हो के अभाव में विवाद है, जिससे प्रार्थीया से अप्रार्थीगण द्वेषता रखते है तथा प्रार्थीया को महिला व कमजोर समझकर अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित प्रार्थीया की भूमि को हडपने व प्रार्थीया के हक व अधिकारो को नुकसान पहुँचाने तथा कब्जा करने की नियत से बिना सीमाज्ञान करवाये बिना अपनी भूमि से अधिक भूमि में तारबंदी करने व पक्का निर्माण करने पर आमादा हो रहे है, जिसका कि उन्हे किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। इसी नियत से दिनांक 27.9.2020 को अप्रार्थीगण एकराय होकर प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि पर आये तथा अपनी भूमि से अधिक भूमि को दबाने की नियत से प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि की सीमा के अन्दर जबरन तारबंदी व पक्का स्थायी निर्माण करने पर आमादा हुये तथा मौके पर निर्माण सामग्री डालने व नींव खोदने लगे, जिस पर प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण से उक्त अवैध व गैर कानूनी कृत्य करने हेतु मना किया तथा प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण से उक्त भूमि का पुख्ता सीमा निर्धारण करवाने बाबत कहा तो अप्रार्थीगण नाराज हो गये तथा प्रार्थीया के साथ गाली गलौच की व लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये, जिसका प्रार्थीया ने विरोध किया तो मौके पर आसपास के काश्तकारो व राह चलते व्यक्तियो की काफी संख्या में भीड इकट्ठी हो गई, जिससे अप्रार्थीगण उस समय तो मौके पर से चले गये, लेकिन जाते समय प्रार्थीया को ऐलानिया धमकी दी कि वे शीघ्र ही मौका प्राप्त कर अपनी भूमि से अधिक भूमि दबाते हुये प्रार्थीया की भूमि में तारबंदी व पक्की बाउण्ड्रीवाल का

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

निर्माण करके रहेंगे तथा उक्त भूमि का पुख्ता सीमा निर्धारण करवाने हेतु मना कर दिया, जिसका कि अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीया शान्तिप्रिय व काश्तकार महिला है तथा प्रार्थीया अपनी भूमि मे सुधार व विकास कार्य हेतु पुख्ता सीमा निर्धारण करवाना चाहती है, लेकिन प्रार्थीया से अप्रार्थीगण द्वेषता रखते है तथा अप्रार्थीगण धनबल व भुजबल में काफी शक्तिशाली व्यक्ति है जिनका मुकाबला प्रार्थीया बिना मान्य न्यायालय की सहायता करने मे असमर्थ है, जिससे प्रार्थीया के पास मान्य न्यायालय की शरण में आने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही है, जिससे प्रार्थीया प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि की पुख्ता सीमा निर्धारण करवाने की अधिकारी है तथा अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारी है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 14 प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि की पुख्ता सीमा निर्धारण करवाये बिना उक्त भूमि में मौके पर किसी प्रकार की कोई पक्की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण व तारबंदी नही करे करावे तथा प्रार्थीया को उक्त भूमि के शान्ति पूर्वक उपयोग व उपभोग करने व काश्त करने में किसी प्रकार की कोई बाधा व रूकावट उत्पन्न नही करे करावे तथा मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। यदि अप्रार्थीगण को ता–फैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वे अपने उक्त मनसूबो में कामयाब हो जावेगे, जिससे प्रार्थीया को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी भॉंति संभव नहीं हो पायेगी। प्रार्थीया का प्राइमाफेसी केस भली भॉंति साबित है एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में बखूबी सुदृढ साबित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया अप्रार्थीगण को ता–फैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 14 प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित प्रार्थीया की भूमि पर पुख्ता सीमा निर्धारण करवाये बिना उक्त भूमि में किसी प्रकार की कोई पक्की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण व तारबंदी नहीं करे करावे तथा प्रार्थीया को उक्त भूमि के शान्ति पूर्वक उपयोग व उपभोग करने व काश्त करने में किसी प्रकार की कोई बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करे करावे तथा मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश नही किया गया। दिनांक 17.02.2025 को अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किये जाने के आदेश दिये।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया अप्रार्थीगण को ता–फैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 14 वादग्रस्त आराजी वाके ग्रांम जयसिंहपुरा बुहारिया पटवार हल्का मोहनपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित खातेदारी काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 0.2400 है०, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.2500 है०, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.3300 है०, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.3300 है०, खसरा नम्बर 13/295 रकबा 0.2800 है०, खसरा नम्बर 14 रकबा 0.1400 है०, खसरा नम्बर 15/294 रकबा 0.2300 है०, खसरा नम्बर 7 रकबा 0.1600 है०, खसरा नम्बर 8 रकबा 0.0700 है०, खसरा नम्बर 9 रकबा 0.0100 है० कुल खसरे 10 कुल रकबा 2.0400 है० पर पुख्ता सीमा निर्धारण करवाये विना

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उक्त भूमि में किसी प्रकार की कोई पक्की बाउंड्रीवाल का निर्माण व तारबंदी नहीं करे करावे तथा प्रार्थीया को उक्त भूमि के शान्ति पूर्वक उपयोग व उपभोग करने व काश्त करने में किसी प्रकार की कोई बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करे करावे तथा मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराया गया। उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीया सर्वप्रथम तहसीलदार सांगानेर के समक्ष सीमाज्ञान का आवेदन प्रस्तुत करे। इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न तीन बिन्दू विचारणीय है:- (1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का संतुलन (3) अपूरणीय क्षति

(1) प्रथम दृष्टया मामला

वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया की भूमि के सीमाजोड अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की भूमि खसरा नम्बर 4 रकबा 0.0420 है० तथा अप्रार्थी संख्या 5 ता 7 की भूमि खसरा नम्बर 3 रकबा 0.0670 है०, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.0400 है0, खसरा नम्बर 6 रकबा 0.0800 है० कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.1870 है० वाके ग्रांम बुहारिया पटवार हल्का मोहनपुरा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में एवं अप्रार्थी संख्या 8 ता 14 की भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 0.1300 है०, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.3600 है0, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.0100 है०, खसरा नम्बर 15 रकबा 0.1900 है०, खसरा नम्बर 16 रकबा 0.3100 है०, खसरा नम्बर 17 रकबा 0.0200 है०, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.0800 है०, खसरा नम्बर 19/141 रकबा 0.0400 है०, खसरा नम्बर 20 रकबा 0.0200 है०, खसरा नम्बर 21 रकबा 0.02100 है0, खसरा नम्बर 22 रकबा 0.1300 है०, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.1500 है०, खसरा नम्बर 25 रकबा 0.1900 है०, खसरा नम्बर 26 रकबा 0.3500 है०, खसरा नम्बर 27 रकबा 0.1700 है0, खसरा नम्बर 28 रकबा 0.5500 है०, खसरा नम्बर 29 रकबा 0.2300 है०, खसरा नम्बर 30 रकबा 0.2800 है०, खसरा नम्बर 31 रकबा 0.3600 है०, खसरा नम्बर 32 रकबा 1.7100 है0, खसरा नम्बर 7 रकबा 0.0500 है०, खसरा नम्बर 9 रकबा 0.2300 है० कुल खसरे 22 कुल रकबा 5.7700 है० वाके ग्रांम चकआमझर पटवार हल्का मोहनपुरा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर की भूमि है। जिसका आज तक कोई विधिवत सीमाज्ञान नही हुआ है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी दर्ज है, वादग्रस्त आराजी का विधिवत सीमाज्ञान आज दिनांक तक नही हुआ है एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये हक हिस्से के अनुसार आप में वाहामी बँटवारा कर पूर्व में बनी सहमी के मुताबिक अपने-अपने हिस्से अनुसार काब्जा काश्त रहते हुए भूमि का उपयोग-उपभोग करते आ रहें है तथा राजस्व अभिलेखों में भी पक्षकारों का उपरोक्त अनुसार दर्शाये हक हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से अर्थात कृषि भूमि की खातेदारी दर्ज इन्द्राज है। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहे है, इसलिए उक्त बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

(2) सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उक्त दोनों बिन्दूओं का सुविधा की दृष्टि से निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी दर्ज है. अप्रार्थीगण की भूमि प्रार्थीया की भूमि के लगवा है बिना विधिवत सीमाज्ञान करवाये किसी भी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार द्वारा विशिष्ट भू-भाग पर निर्माण कार्य कर लिया गया या विशिष्ट भू-भाग का विक्रय कर दिया गया तो वाद की बहुलता बढ़ेगी एवं प्रार्थीगण को ही अधिक असुविधा होगी तथा अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थीया व अप्रार्थीगण को होगी। उक्त तीनों बिन्दू प्रार्थीया साबित करने में सफल रही है इसलिए उनके पक्ष में तय किये गये है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर दिनांक 08.10.2020 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को पावन्द किया जाता है कि वाके ग्राम जयसिंहपुरा बुहारिया पटवार हल्का मोहनपुरा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थीया एवं उसके पति की खातेदारी काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 0.2400 है०, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.2500 है०, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.3300 है०, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.3300 है०, खसरा नम्बर 13/295 रकबा 0.2800 है०, खसरा नम्बर 14 रकबा 0.1400 है०, खसरा नम्बर 15/294 रकबा 0.2300 है०, खसरा नम्बर 7 रकबा 0.1600 है०, खसरा नम्बर 8 रकबा 0.0700 है०, खसरा नम्बर 9 रकबा 0.0100 है० कुल खसरे 10 कुल रकबा 2.0400 है० में जब तक विधिवत सीमाज्ञान होकर पुख्ता सीमाचिन्ह नही लग जाते तब तक अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 किसी प्रकार की कोई पक्की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण व तारबंदी नहीं करे न ही किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थीया को उक्त भूमि के शान्ति पूर्वक उपयोग व उपभोग करने व काश्त करने में किसी प्रकार की कोई बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करे करावे । तथा वादग्रस्त आराजीयात में मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर), जयपुर